यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय,जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव काम्प्लेक्स देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव काम्प्लेक्स देहरादूनके माह 01.2019 से 08.2020 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,तथा श्री साहिल जौली,वरिष्ठ लेखापरीक्षकद्वारादिनांक23.09.2020से 07.10.2020तक श्री के॰ एल॰ भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मेंसम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.19से 14.01.19तक श्री बी॰ डी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2007 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2019 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2).(i).इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःइकाई के द्वारा देहरादून जिले के अंतर्गत खाद्दयान का वितरण एवं भंडारण का कार्य किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे जनपद देहरादून क्षेत्र आता है।

ii). (अ).विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष		**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
प्रारम्भिक अवशेष		**0.00**	**0.00**	**0.00**
प्राप्ति	**केंद्र सरकार**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राज्य सरकार	**447.32**	**310.66**	**16.56**
	अन्य	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल प्राप्त धनराशि		**447.32**	**310.66**	**16.65**
कुल व्यय		**383.85**	**244.84**	**10.43**
अंतिम अवशेष		**63.47**	**65.82**	**4.56**

*** वर्ष 2020-21 मे IFMS प्रणाली मे वेतन मद मे आवंटन बजट प्रदर्शित नही किया जाता है। अतः धनराशि रु 16.56 लाख का आवंटन वेतन मद के अतिरिक्त किया गया जिसमे अगस्त 2020 तक 10.43 लाख का व्यय गया है शेष धनराशि रु 4.56 अवशेष पायी गयी।**

iii).इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या 25 के अंतर्गत किया जाता है तथागैर-स्थापना व्यय को सम्मिलितन करते हुए इकाई'स' श्रेणीकी है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1).खाद्द सचिव,खाद्द एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

2).खाद्द आयुक्त,खाद्द एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

3). अपर आयुक्त,खाद्द एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

4). सयुक्त आयुक्त,खाद्द एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

5). संभागीय खाद्द नियंत्रक,खाद्द एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

6). जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिःवर्तमान लेखापरीक्षा 01.2019से 08.2020तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय, जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव काम्प्लेक्स देहरादून**के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव काम्प्लेक्स देहरादून**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह01.2019एवं 02.2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v).लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा13;लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर01:- Digitalization के बावजूद भी manualmode मे खाद्दयान का वितरण किया जाना ।

As per Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Department of Food and Public Distribution New Delhi vide D.O. letter No 23(Uttaranchal)/2012-comp.cell, dated 15 may 2019 it was decided in the meeting and subsequent discussions with chief secretary of State Government that department will ensure electronic capturing of food grains distribution only through devices installed at Fair price shop and immediately issue necessary instructions to stop the manual mode of transactions. it was also noticed that about 5 percent ration cards (RCs) have to be digitized in the state (as on 15 may 2019). it was requested to take immediate action to digitise all such ration cards and generate proper allocation orders by taking all digitise RCs in online allocation. The manual allocation and distribution of food grains against non-digitized RCs should be restricted with effect from June 2019.

एफ़पीएस औटोमसन जिला देहरादून के राशन की दुकानों को सीएससी सीपीबी (सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप मे) के माध्यम से औटोमेशन किया गया है तथा जुलाई 2018 से आनलाइन राशन वितरण का कार्य प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा योजना तथा राज्य खाद योजना के 94 % digitized किया गया था (01/05/2019 को आहूत बैठक का कार्यव्रत्त)।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला देहरादून मे विभिन्न श्रेणियों ए॰ ए॰ वाई॰, पी॰ एच॰ एच॰ तथा एस॰ एफ़॰ वाई॰ के कार्ड धारको की संख्या क्रमशः 9131, 150013 एवं 111760 (जनवरी 2019) तथा 14205, 198962 एवं 149488 (जनवरी 2020) थी। लेखापरीक्षा जांच मे जनवरी से मार्च 2019 तक एवं जनवरी से मार्च 2020 के ऑनलाइन राशन वितरण के आकड़ों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:-

Percentage of RCs holder who were provided ration through online transaction

Month	No of RCs			Distribution through online			Percentage		
	AAY	PHH	SFY	AAY	PHH	SFY	AAY	PHH	SFY
01/2019	9131	150013	111760	2368	40079	13051	26	27	12
02/2019	9997	155877	116437	2258	34218	10675	23	22	9
03/2019	9645	185468	143801	2273	33581	10362	24	18	7
01/2020	14205	198962	149488	5322	90494	45852	37	45	31
02/2020	14898	204659	152934	5935	101214	55990	40	49	37
03/2020	12673	195358	150522	5023	94582	47951	40	48	32

जनवरी से मार्च 2019 तथा जनवरी से मार्च 2020 के राशन कार्ड धारको के ऑनलाइन खाद्द वितरण मे कोई उल्लेखनीय अंतर नही पाया गया जनवरी 2019 की तुलना मे जनवरी 2020 मे ए॰ ए॰ वाई॰, पी॰ एच॰ एच॰, एस॰ एफ़॰ वाई॰ मे 11, 18 तथा 19 % की बढ़ोतरी हुई इसी प्रकार फरवरी 2019 की तुलना मे फरवरी 2020 मे क्रमशः 17, 27 तथा 28 % की बढ़ोतरी पाया गया जबकि मार्च 2019 से मार्च 2020 के आकड़ों मे 16, 20 तथा 25 % की बढ़ोतरी दर्ज की गयी यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग मार्च 2020 तक 50% कार्ड धारको को भी ऑनलाइन राशन वितरण करने मे असफल रहा जबकि 05/2019 के बाद manualmode से वितरण नही किए जाने के आदेश थे।

आगे लेखापरीक्षा मे यह भी पाया गया कि 06/2019 से manualmode मे खाद्दयान का वितरण किया जा रहा था,computerizedrecords के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के RCs धारको की संख्या तथा उनको electronically किया गया खाद्दयान का वितरण 06/19 की तुलना मे 09/20 के आकडे निम्नवत है:-

माह	Total no of RCs			Transaction carried out electronically		
	AAY	PHH	SFY	AAY	PHH	SFY
June 2019	7395	132582	99547	2663	45033	16137
Sep.2020	14382	203518	153343	7292	128269	78833

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि electronictransaction के द्वारा खाद्दयान के वितरण मे कोई उल्लेखनीय वृद्दि नही हुई है। 09/2020 के आकड़ों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के RCs जैसे कि ए॰ ए॰ वाई॰, पी॰ एच॰ एच॰ , एस॰ एफ़॰ वाई॰ को क्रमशः 49, 37, 49 प्रतिशत कार्डधारको को ऑफलाइन (manual) ही राशन दिया गया था जबकि 95 प्रतिशत कार्ड तथा सरकारी गल्ला दुकानों मई 2019 मे ही digitalized हुई थे जबकि वितरण इसके सापेक्ष बहुत कम पाया गया।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण कुछ क्षेत्रों मे राशन कार्ड digitalization का कार्य पूर्ण नही हुआ था तथा इन क्षेत्रों मे लैपटाप के माध्यम से transaction संभव नही है।

विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि 1048 fairpriceshops मे से 1010 को लैपटाप दिये गए थे तथा सभी राशन कार्ड्स digitalize किए गए है इसलिए राशन वितरण भी वितरित लैपटाप के अनुसार ही होने चाहिए था।

ब) कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी के अंतर्गत कुल 7 गोदाम है वर्ष 2018 मे computerisation के अंतर्गत लैपटाप तथा प्रिंटर वितरित किए गए ताकि रेकॉर्ड्स computerizedmode मे रखे जाये। नमूना लेखापरीक्षा की जांच मे पाया गया कि गोदामो के अभिलेख वर्तमान तक manually तैयार किए जाते है। लेखापरीक्षा मे इस संबंध मे टिप्पणी किए जाने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि गोदाम प्रभारी के कम्प्युटर चलाने मे सक्षम नही होने के कारण तथा कम्प्युटर ऑपरेटर पद नही होने

के कारण अभिलेख computerized नही रखे जाते है। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकिdigitalization के उद्देश्यों की पूर्ति नही हो पायी साथ ही लैपटाप/प्रिंटर की depreciation भी बिना काम के हो रही है।

अतः प्रकरणो को उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो –"ब"

प्रस्तर 02: **केन्द्रीय सरकार भांडागरण** (**विकास और विनियमन**) **अधिनियम**-2007 **के प्रावधानों के अनुसार देहरादून जनपद के** 07 **आन्तरिक अन्न भंडागारों मे सुरक्षात्मक उपाय**, **बीमा तथा सुरक्षागार्ड नहीं होने का प्रकरण।**

The storage of food grains is responsibility of the State government along with GoI. The storage of food-grains done at theDistrict Level by DSOs using its own go-downs for inward movement of foodgrains. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution), GoI framed rules (23.02.2017) In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) and in supersession of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010 for better and effective regulation and supervision of registered warehouses.

देहरादून मे कुल 07 अन्न भंडार हैं – दो राजकीय एवं पाँच प्राइवेट। दो राजकीय गोदाम बेस गोदाम विकासनगर से संबद्ध हैं जो कि त्युनी (300.00 एमटी), चकराता (500.00 एमटी) हैं। प्राइवेट गोदाम के अंतर्गत कालसी (866.00 एमटी), लाखामंडल(174.00 एमटी), अटाल (40.00 एमटी), कोरवा (197.00 एमटी), सावड़ा (88.00 एमटी) कार्यशील हैं।

कार्यालय के अन्न भंडागार से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे निम्नलिखित तथ्य संज्ञान मे आए-

1. अन्न भंडागारों के रख-रखाव मे सुरक्षात्मक (अग्निशमन आदि) उपाय नहीं किए गए थे।
2. Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010के नियम-17 के अनुसार भंडागारों का नियमानुसार बीमा नहीं किया गया था।
3. भंडागारों की रक्षा हेतु सुरक्षा-गार्ड की नियुक्ति नहीं की गई थी।
4. कार्यालय के अंतर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के स्वीकृत पद 05 के सापेक्ष मात्र 01 पद पर नियुक्ति की गई है, जबकि सुरक्षा-गार्ड का कोई पद ही सृजित नहीं है। ऐसे मे भण्डागारों की अनुश्रवण एवं सुरक्षा पूर्णरुपेण मानकों के अनुरूप किया जाना संभव नहीं प्रतीत होता है।

खाद्य-सुरक्षा के प्रावधानो को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु भंडागारों की सुरक्षा हेतु बीमा, अग्निशमन उपकरण, सुरक्षा गार्ड का होना आवश्यक है। इनकी अनुपस्थिति मे समस्त अन्न-भण्डार जोखिमों के अधीन कार्यशील हैं, जो कि सुरक्षा मानकों के प्रति विभागीय शिथिलता का घोतक है।

उपरोक्त के सम्बंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आंकड़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि कुछ अन्न भण्डागारों मे यह कमी हो सकती है। भण्डागारों का नियमानुसार बीमा कराये जाने के सम्बंध मे पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे अवगत कराया कि इस हेतु मुखयाली से पत्राचार कर स्थिति स्पष्ट कर ली जाएगी। भंडागारों की रक्षा हेतु सुरक्षा-गार्ड की नियुक्ति के सम्बंध मे इकाई ने अवगत कराया कि इस हेतु पत्राचार किया जाएगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः केन्द्रीय सरकार भांडागरण (विकास और विनियमन) अधिनियम-2007 के प्रावधानों के अनुसार देहरादून जनपद के 07 आन्तरिक अन्न भंडागारों मे सुरक्षात्मक उपाय, बीमा तथा सुरक्षागार्ड नहीं होने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 03:- विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत निर्धारित लाभार्थियो को खाद्दयान का वितरण नहीकिया जाना।

भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.7-1/2019 बीपी-III(पीटी)II, dated 15/05/20 द्वारा आत्म निर्भर भारत योजना के तहत राज्य मे प्रवासियों/ अवरुद्द प्रवासियों को 05 किलो चावल प्रति व्यक्ति /प्रति यूनिट /प्रति माह एवं 01 किलो ग्राम चना प्रति कार्ड की दर से मई एवं जून 2020 हेतु निशुल्क वितरित किया जाना था। योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य मे प्रचलित कोई राशनकार्ड एवं राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा योजना (NFSA) का राशनकार्ड नही होने पर लाभार्थीयो को चयनित किया जाना एवं निशुल्क चावल वितरित किया जाना था एवं खाद्दयान का वितरण 15.07.2020 तक सुनिश्चित किया जाना था।

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि पत्रांक 275/आ॰वि॰शा॰/आ॰नि॰भारत/2020-21, दिनांक 19/05/20 के अनुक्रम मे जनपद देहारादून मे दिनांक 18.05.20 तक सूचित प्रवासियों एवं अवरूद प्रवासियों की संख्या 9853 एवं दिनांक 15.06.20 तक अनुमानित प्रवासियों की संख्या 24633 के आधार पर दिनांक 21.05.20 को 246.330 मी॰ टन चावल एवं 166.00 कुन्टल चना मई एवं जून माह हेतु आवंटित किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 22.05.20 को 1231.65 कु॰ (मई हेतु) चावल तथा 01.06.20 को 1231.65 कु॰(जून हेतु) चावल एवं 166 कु॰(मई एवं जून) चना की मांग प्रेषित की गयी जिसके सापेक्ष जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून द्वारा वर्तमान(9/2020)तक योजना के अंतर्गत लक्षित 34486 प्रवासियों मे से मात्र 5273 प्रवासियों को 280.98 कु॰ चावल एवं 21.69 कु॰ चना वितरित किया गया। वर्तमान मे योजना के अंतर्गत आवंटन, उठान एवं वितरण की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

(मात्रा कु॰ मे)

आवंटन		उठान/प्राप्ति		वितरण	
चावल	चना	चावल	चना	चावल	चना
2463.30	166.00	2463.30	166.00	280.98	21.69

योजना के अंतर्गत बाहर राज्यो से आए प्रवासियों एवं बाहर राज्यो के फसे प्रवासियों को पूर्ति निरीक्षकों के सत्यापन एवं संस्तुति के आधार पर निकटतम सस्ता गल्ला दुकान द्वारा खाद्दयान का वितरण किया जाना था जिस हेतु निर्धारित प्ररूपों पर प्रवासियों की सूचना प्राप्त की जानी थी जिससे संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा मे जांच हेतु उपलब्ध नही पाये गए एवं दिनांक 15.05.20 को जनपद मे अवरुद्द 9853 प्रवसियों के सापेक्ष जून तक इकाई को प्राप्त 1881कु॰ चावल एवं 88 कु॰ चना मे से मात्र 15 प्रवासियों को 1.5 कु॰ चावल एवं 0.03 कु॰ चना खाद्दयान वितरित किया गया जो उक्त योजना का अप्रभावी होना प्रदर्शित करती है। साथ ही मई तक प्राप्त 1881 कु॰ चावल कापूर्णत: उपभोग नही होने के बावजूद जून माह हेतु शेष खाद्दयान की मांग इकाई स्तर से की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त प्रकरण पर इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि अत्याधिक कार्यालय व्यस्तता के कारण इन सूचनाओ को संकलित कर तुरंत प्रस्तुत किया जाना सम्भव नही है। इकाई का उत्तर संतोषजनक प्राप्त नही होने के कारण उत्तर मान्य नही है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
249/2018-19	-	01,02,03	-
149/2017-18	-	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
249/2018-19	-	01,02,03	प्रस्तरों की अनुपालन आख्या कार्यालय को उचित माध्यम से प्रेषित कर दी जायेगी।	यथावत	
149/2017-18	-	01		यथावत	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1).कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव काम्प्लेक्स देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएःशून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहनकिया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री विपिन कुमार	जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून	विगत लेखापरीक्षा से 06/2019 तक
श्री तेजवल सिंह	जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून	14.06.19 से 02.09.19
श्री जे॰ एस॰ कंण्डारी	जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून	02.09.19 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति**कार्यालय, जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव काम्प्लेक्स देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी,जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ AMG-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए०एम०जी०-I